न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 40/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह।
2 हेमसिंह पुत्र भंवरसिंह।
3 उच्छव कंवर पत्नी भंवरसिंह।
4 प्रहलाद सिंह पुत्र लालसिंह।
5 जसवन्त सिंह पुत्र सियाण सिंह।
6 रामसिंह पुत्र सियाण सिंह।
7 गुलाब सिंह पुत्र सियाण सिंह।
8 भीमसिंह पुत्र सियाण सिंह।
9 प्रेमकंवर पत्नी सियाण सिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण रैवासी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सन्तोष देवी पत्नी नेमीचन्द।
2 रामेश्वर पुत्र खीवाराम।
3 सोनी देवी पत्नी मोतीराम।
4 भगवानी देवी पुत्री मोतीराम।
5 घीसु देवी पुत्री मोतीराम।
6 गीता देवी पुत्र मोतीराम।
7 भागीरथ पुत्र मोतीराम समस्त जाति जाट निसासीगण रैवासी तहसील धोद जिला सीकर।

भूप्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 सुभाष पुत्र नेमीचन्द आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता स्वंय सन्तोष देवी पत्नी नेमीचन्द जाति जाट निवासी रैवासी तहसील धोद जिला सीकर।
9 तहसीलदार महोदय धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांकित 20.05.2016
उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर प्रकरण
संख्या 1216/2015 बअनुवानी सन्तोष वगैरह
बनाम हरिसिंह आदि अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट
अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

अपील संख्या 51/2016

1 रामेश्वर पुत्र खींवाराम जाति जाट निवासी रैवासी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सन्तोष देवी पत्नी नेमीचन्द।
2 सुभाष पुत्र नेमीचन्द आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता स्वंय सन्तोष देवी पत्नी नेमीचन्द जाति जाट निवासी रैवासी तहसील धोद जिला सीकर।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3 हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह।
4 हेमसिंह पुत्र भंवरसिंह।
5 उच्छव कंवर पत्नी भंवरसिंह।
6 प्रहलाद सिंह पुत्र लालसिंह।
7 जसवन्त सिंह पुत्र सियाण सिंह।
8 रामसिंह पुत्र सियाणसिंह।
9 गुलाबसिंह पुत्र सियाणसिंह।
10 सोनी देवी पत्नी मोतीराम।
11 भगवानी देवी पुत्री मोतीराम।
12 घीसु देवी पुत्री मोतीराम।
13 गीता देवी पुत्र मोतीराम।
14 भागीरथ पुत्र मोतीराम समस्त जाति जाट निसासीगण रैवासी तहसील धोद जिला सीकर।
15 तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांकित 20.05.2016
उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर प्रकरण
संख्या 1216/2015 बअनुवानी सन्तोष वगैरह
बनाम हरिसिंह आदि अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट
अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नानुराम, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री महेश जांगिड़, अधिवक्ता

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 03.03.2020

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 1216/2015 में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीले एक ही निर्णय के विरूद्व होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में अलग–अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में प्रस्तुत कर आवेदन की मद संख्या 4 में यह कथन किया कि'' कटान का रास्ता जो बिन्जासी से रेवासी जाने वाली उतर से दक्षिण की तरफ बनी ग्रेवल सड़क से पश्चिम की तरफ कच्चे रास्ते से भूमि खसरा नम्बर 494 व 495 के मध्य की सींव के सहारे सहारे होता हुआ दक्षिण की तरफ भूमि खसरा नम्बर 492 व 494 की सींव के सहारे–सहारे होता हुआ पश्चिम की तरफ मुड़कर भूमि खसरा नम्बर 492 व 494 के सहारे–सहारे चलते हुये भूमि खसरा नम्बर 492 व 493 की सींव के सहारे होता हुआ पश्चिम की तरफ चलता है जो आगे चलकर भूमि खसरा नम्बर 493 व 489 की सींव की सहारे सहारे जो दक्षिण की तरफ चलते हुये आगे पश्चिम में भूमि खसरा नम्बर 488 व 489 की सींव के सहारे–सहारे होते हुये भूमि खसरा नम्बर 524/487, 523/487 की सींव के मध्य तक होते हुये भूमि खसरा नम्बर 524/487, 523/487 में प्रवेश करने का रास्ता है उक्त रास्ते को आवेदन के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख से दर्शित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने आवेदन में यह सहायता चाही कि आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन की मद संख्या 4 में वर्णित रास्ते को अप्रार्थीगण बन्द नही करे उन्हे स्थायी रूप से पाबन्द फरमाया जावें वह उक्त रास्ता को कटान का रास्ता जो बिन्जासी से रैवासी जाने वाली उतर से दक्षिण की तरफ बनी ग्रेवल सड़क से पश्चिम की तरफ कच्चे रास्ते से भूमि खसरा नम्बर 494 व 495 की मध्य की सींव के सहारे–सहारे होता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हुआ दक्षिण की तरफ भूमि खसरा नम्बर 492 व 494 की सींव के सहारे–सहारे होता हुआ पश्चिम की तरफ मुड़कर भूमि खसरा नम्बर 492 व 494 के सहारे–सहारे चलता हुआ खसरा नम्बर 492 व 493 की सींव के सहारे होता हुआ पश्चिम की तरफ चलता है जो आगे चलकर भूमि खसरा नम्बर 493 व 489 की सींव के सहारे सहारे जो दक्षिण की तरफ चलते हुये आगे पश्चिम में भूमि खसरा नम्बर 488 व 489 की सींव के सहारे–सहारे होते हुये भूमि खसरा नम्बर 524/487 व 523/487 की सींव के मध्य तक होते हुये भूमि खसरा नम्बर 524/487, 523/487 में प्रवेश करने का रास्ता है उक्त रास्ते को आवेदन के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में बरंग सुर्ख से दर्शित किया गया है तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के लिए राजस्व अधिकारियों को आदेश पारित करने की कृपा करें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वैकल्पिक रास्ता मौजुद होना एवं चालु होना बताया गया है। धारा 251ए के उपनियम 2 में प्रावधान है कि वैकल्पिक रास्ता नही होने एवं आत्यतिक आवश्यकता होने पर ही धारा 251ए के प्रावधान लागु होते है। प्रस्तुत प्रकरण पर धारा 251ए के प्रावधान लागु नही होते है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट को सुने बिना असुविधा जनक व अधिक दूरी का रास्ता प्रस्तावित कर दिया गया है। चालु रास्ते को बन्द करने पर धारा 251 के तहत तहसीलदार के समक्ष सुखाधिकार के तहत आवेदन करना चाहिए था। तहसीलदार धोद की रिपोर्ट दिनांक 18.05.2016 गलत व मनमानी है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट की तामीली कार्यवाही पुरी किये बिना विचाराधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय की यह प्रकिया प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। भूमि के बदले भूमि का विकल्प हमने दिया था जो स्वीकार नही किया है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा कथित प्रस्तावित रास्ते तीनों मौका रिपोर्ट में अंकित नही है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि पगडण्डी को रास्ते के रूप में नही माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार से दो बार मौका रिपोर्ट मांगी गई है। तहसीलदार द्वारा दो बार मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है। अपीलांट द्वारा इसका कोई खण्डन नही किया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय की पालना में राशि राजकोष में जमा होकर निर्णय की पालना हो चुकी है। धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही होती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विस्तृत विवेचन के उपरान्त विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा कथित प्रस्तावित रास्ते तीनों मौका रिपोर्ट में अंकित नही है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि पगडण्डी को रास्ते के रूप में नही माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार से दो बार मौका रिपोर्ट मांगी गई है। तहसीलदार द्वारा दो बार मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है। अपीलांट द्वारा इसका कोई खण्डन नही किया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय की पालना में राशि राजकोष में जमा होकर निर्णय की पालना हो चुकी है। धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही होती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विस्तृत विवेचन के उपरान्त विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर